



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- भीलवाड़ा में ग्राम विकास अधिकारी 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 02 मई, गुरुवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई द्वारा आज भीलवाड़ा में कार्यवाही करते हुये रामलाल माली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, सातलियास हाल नेगड़िया खेड़ा, पंचायत समिति गंगापुर, जिला भीलवाड़ा को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पूर्व में उसके भाई को जारी पट्टे की रजिस्ट्री एवं पट्टा देने तथा वर्तमान में परिवादी द्वारा आवेदित पट्टे की फाईल में पट्टा जारी करने की एवज में आरोपी रामलाल माली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, सातलियास हाल नेगड़िया खेड़ा, पंचायत समिति गंगापुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा 2 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी राजसमंद इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिम्मत सिंह चारण के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के भीलवाड़ा में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी रामलाल माली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, सातलियास हाल नेगड़िया खेड़ा, पंचायत समिति गंगापुर, जिला भीलवाड़ा को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रुपये (15 हजार रुपये भारतीय मुद्रा एवं 1 लाख 35 हजार रुपये डमी करेंसी) की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।